



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 377057

13

न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन नहीं है और न ही उक्त भूमि के सम्बन्ध में कुर्की की कोई नोटिस ही जारी हुई है। यदि भविष्य में किसी भी स्तर पर इसके विपरीत कोई तथ्य पाया जायेगा तो उसके लिए भू-स्वामीगण प्रथम पक्ष जिम्मेदार होगा तथा वह द्वितीय पक्ष को क्षतिपूर्ति के लिए भी जिम्मेदार व पाबन्द होगा।

ब. यह कि भूस्वामीगण प्रथम पक्ष के विरुद्ध किसी शासकीय प्राधिकरण द्वारा कोई मांग नहीं हैं। उक्त बातें जो भू-स्वामीगण प्रथम पक्ष द्वारा बताई गयी हैं पर विश्वास करते हुए और उसे सही मानते हुए विकासकर्ता द्वितीय पक्ष ने उक्त भूमि को विकसित करने और उस पर फ्लैट/रिहायशी मकान बनाने के लिए निम्न शर्तों पर सहमत है

2-3 कि.
 Arjun Kumar Singh
 B. R. Patel
 मुन्नालाल चौधरी
 D. K. Jai
 उरुदयाल
 Rohan Yadav
 Arjun Kumar Singh
 Prakash Singh
 Anil Kumar